तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज केवलराम चौधरी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 139 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केवलराम चौधरी पुत्र स्व. तुलसीराम चौधरी निवासी आदर्श स्कूल के पास, बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 2705.19 में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव खारिया खंगार में जो जमीन देवस्थान की है उसकी जमाबंदी और मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 417 दिनांक 13.08.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना गांव खारिया खंगार में जो जमीन देवस्थान है उसकी जमाबदी मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक / रीडर / सू.अ. / 2019 / 245 दिनांक 26.06.19 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि ग्राम खारीया खंगार की वर्तमान जमाबदी अनुसार देवस्थान का कोई खाता (भूमि) नहीं है। साथ ही इस तथ्य से भी सूचित किया गया कि अगर आपका आश्य डोली भूमि से है तो उसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। रिपोर्ट के साथ पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को वस्तुसिति की सूचना प्रेषित की जा चुकी है, अतः प्रार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	